संख्या- 27/11/बयालिस-2015-243(निर्माण)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

विषय- जनपद बाराबंकी में के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, बाराबंकी में छात्रावास क्रिकेट पिच व बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 976/नि0 बाराबंकी स्टे0 पत्रा0/2013-14, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वितत्तीय वर्ष- 2014-15 में बाराबंकी में के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, बाराबंकी में छात्रावास, क्रिकेट पिच व बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 912.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 01.00 करोड (रू0 एक करोड़ मात्र) स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- प्रायोजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 01.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- प्रायोजना में निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(3)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकर आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5)- प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमदें यथा- लिफ्ट, डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर, बास्केटबाल कोर्ट, साइट स्क्रीन एवं वाटर कूलर आदि का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(6)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाक घर/डिपाजिट खातें नहीं रखी जायेगी।

(8)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वितत्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(10)- परियोजना अन्तर्गत लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(11)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12)- प्रायोजना में सम्मिलित कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रशा0 विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-58-के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, बाराबंकी में डॉरमेट्री बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का विका-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 478/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 11(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी फैजाबाद/क्रीड़ाधिकारी, बाराबंकी।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in